न्यायालय तहसीलदार आमेर जयपुर

जी.

डायरी संख्या 12/2013

टिप्पणी (क्रमिक)

वादी श्री बनाम कैलाश

9/12/2022 पत्रावली प्रस्तुत। वादी व वादी के अधिवक्ता आज भी अनुपस्थित है। तहसीलदार आमेर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार आमेर ने रिपोर्ट मे अंकित किया है की वादग्रस्त आराजी के संबंध में इस न्यायालय के अन्य प्रकरण संख्या 322/2015 में पारित निर्णय/प्रा०डिक्री अन्तिम डिक्री की पालना में विभाजन होकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो चुका है। अतः कोई कार्यवाही + कुर्रनामा बाबत् अपेक्षित नहीं है।

अतः तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट अनुसार पत्रावली पर अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है फलस्वरूप तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट के आधार पर पत्रावली निर्णित की जाकर फैसल की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर